



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

Criminal Appeal No. 222/2002

निर्णय हेतु सुरक्षित : 19.3.2021

निर्णय पारित : 24.5.2021

संजय साहू, पिता- देहुल राम साहू, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी-ग्राम पराना, थाना-अर्जुन्दा,
जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

----- अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

-----उत्तरदाता

अपीलकर्ता के लिए

: श्री एन०एस० धुरन्धर, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए

: श्री रौशन दुबे, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविन्द सिंह चंदेल

सी०ए०वि० निर्णय

1. यह अपील विशेष न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 147/2000 में पारित दिनांक 12.2.2002 के निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार सजा सुनाई गई है :-

दोषसिद्धि	सजा
भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत	3 साल का कठोर कारावास और 2,000/- रुपये का जुर्माना

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी मैनाबाई (मृतक) का पति है। घटना के 3 वर्ष पूर्व उनका विवाह हुआ था। विवाह के 1 वर्ष पश्चात मैनाबाई के साथ उसके पति/अपीलार्थी तथा उसकी सास/सह-आरोपी जयवानबाई (जिसे ट्रायल कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है) द्वारा दुर्व्यवहार एवं क्रूरता की जाने लगी। घटना के 1 सप्ताह पूर्व मैनाबाई, अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। वहां उसने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। इसके पश्चात अपीलार्थी के परिवार के



सदस्य उसे वापस उसके मायके ले आए। कथित रूप से 6.6.1999 को पुनः अभियुक्तगणों एवं मैनाबाई के बीच विवाद हुआ। इसके पश्चात मैनाबाई ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। उसे तत्काल जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया गया। इसके पश्चात बेहतर उपचार के लिए उसे सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई ले जाया गया। उपचार के दौरान 11.6.1999 को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से पहले यानी 10.6.1999 को उसके पिता सुरेश (पीडब्लू 4) द्वारा लिखित शिकायत (एक्स.पी4) दर्ज कराई गई थी। मुर्दाघर सूचना (एक्स.पी8) भी दर्ज कराई गई थी। मुर्दाघर जांच और लिखित शिकायत (एक्स.पी4) के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स.पी11) दर्ज की गई। मैनाबाई के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्स.पी3 है, जिसके अनुसार मृतक मैनाबाई 85% जल चुकी थी और उसकी मौत का कारण सदमा था। जांच कार्यवाही (एक्स.पी5) की गई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता और सह-आरोपी जयवानबाई के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

3. अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों की जांच की। अपीलकर्ता और सह-आरोपी के बयान भी सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपराध से इनकार किया, निर्दोष होने और झूठे आरोप लगाने की दलील दी। अपीलकर्ता का बचाव यह था कि उसके और उसकी पत्नी/मृतक के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। उसकी मौत आकस्मिक थी। अस्पताल में इलाज के दौरान, मैनाबाई के बयान देने के लिए स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा उसका लिखित मृत्युपूर्व कथन (एक्स.डी2) भी दर्ज किया गया था। अपने बचाव में, अपीलकर्ता ने दो गवाहों की जांच की है, अर्थात् डॉ. वी.के. साओ, जिन्होंने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया, बचाव गवाह नंबर 1 के रूप में और नायब-तहसीलदार/कार्यकारी मजिस्ट्रेट यू.एस. अग्रवाल, जिन्होंने, बचाव गवाह नंबर 2 के रूप में लिखित मृत्युपूर्व कथन (एक्स.डी2) दर्ज किया।

4. ट्रायल पूरा होने पर, ट्रायल कोर्ट ने सह-आरोपी जयवानबाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 सहपठित धारा 34 के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी कर दिया, लेकिन



अपीलकर्ता को इस फैसले के पहले पैराग्राफ में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इसलिए, यह अपील।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलेख पर पर्याप्त एवं पुख्ता साक्ष्य न होते हुए भी विचारण न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया है। आगे तर्क दिया गया कि घटना के तत्काल बाद अपीलार्थी ने घायल मैनाबाई को जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती कराया तथा उसके बाद उसके बेहतर उपचार के लिए सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई में भर्ती कराया। दिनांक 6.6.1999 को ही कार्यपालक दंडाधिकारी यू.एस. अग्रवाल (डी.डब्लू. 2) ने डॉ. वी.के. साव (डी.डब्लू. 1) से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर घायल मैनाबाई का लिखित मृत्युकालिक कथन (एक्स.डी.2) दर्ज किया। लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को दबा दिया तथा आरोप पत्र के साथ उक्त लिखित मृत्युकालिक कथन (एक्स.डी.2) प्रस्तुत नहीं किया। लिखित मृत्युकालिक कथन (एक्स.डी.2) की विषय-वस्तु के अनुसार घटना आकस्मिक थी। घायल मैनाबाई की मृत्यु दिनांक 11.6.1999 को हो गई। 6.6.1999 और 11.6.1999 के बीच, घायल मैनाबाई ने कोई शिकायत नहीं की कि उस पर उक्त लिखित मृत्यु-पूर्व कथन (एक्स.डी.2) देने के लिए दबाव डाला गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि लिखित मृत्यु-पूर्व कथन (एक्स.डी.2) का साक्ष्य के रूप में अधिक महत्व है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट यू.एस. अग्रवाल (डी.डब्लू.2) का घायल मैनाबाई या आरोपी व्यक्तियों से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने मैनाबाई द्वारा कही गई बातों को रिकॉर्ड किया। एक्स.डी.2 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे अभियोजन पक्ष ने आरोप-पत्र के साथ दाखिल न करके दबा दिया। जांच अधिकारी ने निष्पक्ष जांच नहीं की। मृतक मैनाबाई के पिता सुरेश (पी.डब्लू.4) और माता सुशीला (पी.डब्लू.5) द्वारा बताए गए मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। इसलिए, इस संबंध में ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष कानून के अनुसार नहीं है। आगे तर्क दिया गया कि भले ही तर्क के लिए यह सच माना जाता है कि मौत आत्महत्या थी, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दिखाए कि मैनाबाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तहत परिभाषित आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। इसलिए भी, अपीलकर्ता की सजा कायम नहीं रह सकती। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने 8.11.2017 को दिए गए आपराधिक अपील संख्या 711/2013 (तिलक कुमार नायक बनाम



छत्तीसगढ़ राज्य) में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया। उन्होंने (2008) 16 एससीसी 705 (समाधान खुदाका कोली बनाम महाराष्ट्र राज्य) पर भी भरोसा किया।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने विवादित निर्णय का समर्थन किया और अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता की सजा पूरी तरह से कानून के अनुसार है और इसमें कोई कमी नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक बार लिखित मृत्युकालिक कथन (एक्स.डी2) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और न्यायालय ने उस पर विचार किया है, तो किसी को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेज़ को दबाया गया है और इस तरह अपीलकर्ता इससे कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

7. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

8. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर चर्चा करने से पहले, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 और 498 ए के प्रावधानों का संदर्भ लेना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

धारा 107 . किसी बात का दुष्प्रेरण- वह व्यक्ति किसी चीज़ के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो -

1. उस चीज़ को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा
2. उस चीज़ को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, कोई कार्य या अवैध चूक होती है; अथवा
3. उस चीज़ के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझ कर सहायता करता है ।

स्पष्टीकरण 1- अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या तात्त्विक तथ्य द्वारा, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छा से किसी चीज़ का किया जाना कारित करता है अथवा कारित करने का प्रयत्न करता है, तो उसे उस चीज़ को करने के लिए उकसाना कहा जाता है ।



स्पष्टीकरण 2.- जो कोई किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या उसके समय उस कार्य के किए जाने को सुगम बनाने के लिए कुछ करता है और इस प्रकार उसके किए जाने को सुगम बनाता है, वह उस कार्य के किए जाने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

498-क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना.- जो कोई भी व्यक्ति किसी महिला का पति या उसके रिश्तेदार होते हुए उस महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" का अर्थ है-

(क) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो; या

(ख) महिला का उत्पीड़न, जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से हो या उसके या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण हो।"

9. इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए, (2007) 11 एससीसी 205 (भगवान दास बनाम करतार सिंह) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

15. हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है। अक्सर ऐसा होता है कि वैवाहिक घर में विवाद और कलह होते हैं और पत्नी को अक्सर पति या उसके ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जाता है। हालाँकि, हमारी राय में यह अपने आप में और कुछ और के बिना धारा 306 आईपीसी को धारा 107 के साथ पढ़ने पर लागू नहीं होगा।

16. हालाँकि, हमारी राय में, अगर पत्नी आत्महत्या करती है, तो पति द्वारा मतभेदों के कारण पत्नी को परेशान करना धारा 306 को धारा 107 के साथ पढ़ने पर लागू नहीं होता। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अगर आत्महत्या उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के कारण हुई थी, तो धारा 304-बी आईपीसी लागू हो सकती है, चाहे वह हत्या का मामला हो या आत्महत्या का। (देखें, कंस राज बनाम पंजाब



राज्य, (2000) 5 एससीसी 207, सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2001) 8 एससीसी 633 और शांति बनाम हरियाणा राज्य, (1991) 1 एससीसी 371।”

10. इसके अलावा, **एआईआर 2010 एससी 327 (गंगुला मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

“20. उकसावे में किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए उकसाने या जानबूझकर सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है। आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से सकारात्मक कार्य किए बिना, दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।

21. विधानमंडल की मंशा और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि धारा 306, आईपीसी के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। इसमें एक सक्रिय कृत्य या प्रत्यक्ष कृत्य भी शामिल है जिसके कारण मृतक ने कोई विकल्प न देखकर आत्महत्या कर ली और इस कृत्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा होगा कि उसने आत्महत्या कर ली।”

11. (2011) 3 एससीसी 626 (एम. मोहन बनाम राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किया है) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन द्वारा स्पष्ट रूप से माना है कि आईपीसी की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए:

“45. विधानमंडल की मंशा और इस न्यायालय द्वारा तय मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि धारा 306 आईपीसी के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने के पीछे स्पष्ट मानसिकता होनी चाहिए। इसमें एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य भी शामिल है जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प न देखकर आत्महत्या करनी पड़ी और इस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा होगा कि उसने आत्महत्या कर ली।”

12. समाधान खुदाका कोली मामले (सुप्रा) में मृत्यु पूर्व कथन के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की है:

“12. न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए मृत्यु पूर्व कथन का साक्ष्य के रूप में अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को मृत्यु पूर्व कथन दर्ज करना आता है। वह एक तटस्थ व्यक्ति है। अभियोजन पक्ष ने न्यायिक



मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व कथन को क्यों दबाया, यह ज्ञात नहीं है। अभियोजन पक्ष को भी अभियुक्त के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। जांच और मुकदमे में निष्पक्षता अभियुक्त का मानवाधिकार है। राज्य न्यायालय से कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज केवल इसलिए नहीं छिपा सकता क्योंकि वह अभियुक्त के मामले का समर्थन करेगा।

13. हमारे विचार में विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने उक्त प्रश्न पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने से इनकार करके गंभीर अवैधता की है। अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त मृत्युपूर्व कथन को न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं लाया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने इसकी विषय-वस्तु के बारे में अनुमान लगाया। न केवल मृत्युपूर्व कथन की विषय-वस्तु, बल्कि जिस तरह से इसे दर्ज किया जाता है और इसके विवरण भी साक्ष्य की सराहना के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”

13. उपरोक्त विधि के प्रकाश में, अब मैं वर्तमान मामले में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर चर्चा करूंगा। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी और मैनाबाई (मृतक) के बीच विवाह घटना से 3 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ था। यह भी निर्विवाद है कि मैनाबाई को अपीलार्थी द्वारा 6.6.1999 को जिला चिकित्सालय दुर्ग लाया गया था। तत्पश्चात, उसे बेहतर उपचार के लिए सेक्टर-9 चिकित्सालय भिलाई लाया गया। वहां उपचार के दौरान 11.6.1999 को उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी3) तथा उसमें शव परीक्षण सर्जन डॉ. पी.सी. देशमुख (पीडब्लू3) द्वारा दी गई राय के अनुसार, मैनाबाई 85 प्रतिशत जल गई थी तथा उसकी मृत्यु का कारण सदमा था।

14. मृतक मैनाबाई के पिता सुरेश (पीडब्लू 4) और माता सुशीला (पीडब्लू 5) ने बयान दिया है कि अपीलकर्ता और मैनाबाई के विवाह के लगभग 1 वर्ष बाद तक मैनाबाई अपने ससुराल में खुशी-खुशी रह रही थी। सुरेश (पीडब्लू 4) के न्यायालयीन बयान के अनुसार अपीलकर्ता शराब पीने का आदी था और मैनाबाई से यह कहकर मारपीट भी कर रहा था कि वह उसके लायक नहीं है। उसने आगे बयान दिया है कि घटना से 1 सप्ताह पहले मैनाबाई अपने ससुराल से भागकर उसके घर आई थी। उस समय उसने उसे बताया था कि अपीलकर्ता और उसकी सास उसके साथ मारपीट करते हैं। इसके बाद जब मैनाबाई के ससुराल के परिवार के सदस्य उसके घर आए तो इस गवाह ने मैनाबाई को उसके ससुराल वापस भेज दिया। इसके 1 दिन बाद उसे पता चला कि मैनाबाई जल गई है। वह जिला अस्पताल दुर्ग गया और वहां देखा कि मैनाबाई जल गई थी। इस



साक्षी के अनुसार मैनाबाई ने उसे अस्पताल में बताया कि उसके साथ प्रतिदिन मारपीट की जाती थी, जिससे परेशान होकर उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। इस साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि उसने पुलिस थाना अर्जुन्दा में लिखित शिकायत (एक्स.पी.4) की थी। अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब भी वह मृतिका के ससुराल गया था, अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने उसका उचित सम्मान किया और जब भी उसने मृतिका को उसके साथ उसके मायके भेज देने को कहा, तो उन्होंने उसे उसके साथ भेज दिया। उसने यह भी स्वीकार किया है कि मृतिका केवल एक बार अपने मायके से भाग गई थी और उसके साथ मारपीट की शिकायत की थी। चूंकि इस तरह के झगड़े हर घर में होते थे, इसलिए उसने कोई रिपोर्ट नहीं की। इस साक्षी ने आगे यह स्वीकार किया है कि यह अपीलकर्ता ही था जो मृतक को जिला अस्पताल दुर्ग और उसके बाद सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई ले गया था और अपीलकर्ता ने मृतक के इलाज का सारा खर्च स्वयं वहन किया था।

15. मृतका की मां सुशीला (पीडब्लू 5) ने बयान दिया है कि मृतका अपनी शादी के 1 साल बाद अपने मायके आई थी और उस समय उसने बताया था कि जब भी वह पानी भरकर देर से लौटती थी, तो उसकी सास उसके चरित्र पर संदेह करती थी और इसी बात को लेकर अपीलकर्ता उसके साथ छेड़छाड़ करता था। इस साक्षी ने आगे बयान दिया है कि उस समय मृतका 8 दिन तक अपने मायके में रही और उसके बाद वह अपने ससुराल वापस आ गई। इसके बाद इस साक्षी को पता चला कि मृतका ने खुद को आग लगा ली है। इस साक्षी ने आगे बयान दिया है कि जानकारी मिलने के बाद वह मृतका से मिलने गई थी। उस समय मृतका ने उसे बताया था कि घटना दिनांक को उसकी सास से गंभीर झगड़ा हुआ था। उस समय अपीलकर्ता आया और उससे अपने और अपने लिए चाय बनाने को कहा। उस समय अपीलकर्ता ने उसे बताया कि जब वह गुस्से में अपने मायके गई थी, उस समय वह खुश था। अपीलकर्ता ने उससे यह भी कहा कि वह मर क्यों नहीं जाती तथा उसने आगे बताया कि मरने वाला व्यक्ति चाय नहीं पीता। इस पर उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता और मृतका के बीच विवाह के लगभग 1 वर्ष बाद तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। इस साक्षी का पति (मृतका का पिता) जब भी मृतका को उसके मायके वापस ले जाने के लिए उसके ससुराल गया, तो वहां उसे उचित सम्मान दिया गया। इस साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि पानी लाने



के विवाद को लेकर ही झगड़े हो रहे थे। इस साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि इस प्रकार का विवाद हर घर में होता है। उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को भी अपीलकर्ता और मृतका के बीच चाय बनाने को लेकर विवाद हुआ था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के बाद अपीलकर्ता ही मृतका को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आया था और उसके इलाज का सारा खर्च भी उसने ही उठाया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि अस्पताल में मृतका ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया था कि वह चाय बनाते समय जल गई थी।

16. पुनितराम (पी.डब्ल्यू. 7) जो मृतका का शिक्षक था, ने बयान दिया है कि घटना के 1 सप्ताह पूर्व मृतका अपने ससुराल से भागकर अपने मायके आई थी। उस समय वह उससे मिलने उसके घर भी आई थी। उस समय उसने बताया था कि उसके पति/अपीलार्थी एवं सास उसके चरित्र पर संदेह करते हैं तथा उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस साक्षी ने आगे बयान दिया है कि जब वे जिला अस्पताल दुर्ग गए थे, तब पुलिस अधिकारियों ने मृतका से पूछताछ की थी। उस समय पहले मृतका ने बताया था कि वह चाय बनाते समय जल गई थी। विनम्रता से दोबारा पूछने पर मृतका ने बताया कि चाय पीते समय उसके और अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था। इस पर उसने अपीलार्थी से कहा कि वह हमेशा उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तथा उसके साथ मारपीट करता है, इसलिए वह मर जाएगी। इस पर अपीलार्थी ने उससे कहा कि मरने वाला व्यक्ति चाय नहीं पीता है। यदि वह मरना चाहती है, तो मर सकती है। इस पर वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और गुस्से में उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। इस साक्षी के अनुसार मृतका ने यह भी बताया कि अपीलकर्ता ने उससे कहा था कि वह बताए कि वह चूल्हा जलाते समय जल गई, अन्यथा वह उसे उपचार के लिए अस्पताल नहीं ले जाएगा और इसलिए उसने ऐसा बयान दिया। जिरह के दौरान इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब वह पहली बार अस्पताल में मृतका से मिला था, उस समय उसके पूछने पर मृतका ने उसे बताया था कि उसका मृत्युपूर्व बयान दर्ज हो चुका है, जिसमें उसने कहा है कि वह चाय बनाते समय जल गई थी। इस साक्षी ने आगे यह भी बयान दिया है कि जब उसने दोबारा पूछा तो मृतका ने बताया कि वह चूल्हे पर चाय बनाते समय जल गई थी।



17. डॉ. वी.के. साव (डीडब्लू 1) ने कहा है कि दिनांक 6.6.1999 को एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट मृतका का मृत्युपूर्व कथन दर्ज करने आए थे। उस समय वे ड्यूटी पर मौजूद थे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने मृतका की जांच की थी और पाया था कि वह बयान देने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ थी और इसलिए उन्होंने इस संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र दिया था। इस साक्षी ने इस बात से भी इनकार किया है कि मृतका के मृत्युपूर्व कथन दर्ज करने के समय उसके रिश्तेदार वहां मौजूद थे। इस साक्षी ने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने मृतका के रिश्तेदारों के दबाव में फिटनेस प्रमाण पत्र दिया था।

18. कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार यू.एस. अग्रवाल (डीडब्लू 2) ने भी यह बयान दिया है कि दिनांक 6.6.1999 को वे मृतका का मृत्युपूर्व कथन दर्ज करने जिला अस्पताल दुर्ग गए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मृतका बयान देने की स्थिति में थी। इसके बाद उन्होंने इस संबंध में डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने मृतका का मृत्युपूर्व कथन (एक्स.डी2) दर्ज किया। मृत्युपूर्व कथन (एक्स.डी2) की विषय-वस्तु के अनुसार 6.6.1999 को शाम 4:00 बजे मृतका अपने वैवाहिक घर में चूल्हे पर चाय बना रही थी। उस समय उसकी पीठ पर रखी एक जलती हुई चिमनी उसके ऊपर गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप आग उसके कपड़ों में लगा गई और वह जल गई। कार्यकारी मजिस्ट्रेट यू.एस. अग्रवाल (डीडब्लू2) ने आगे यह भी गवाही दी कि उनके द्वारा पूछे जाने पर मृतका ने बताया कि उसे किसी ने आग नहीं लगाई और उसके और अपीलकर्ता तथा सास के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे।

19. उपरोक्त साक्ष्यों की सूक्ष्म जांच करने पर मुझे पता चला कि मृत्यु पूर्व कथन के संबंध में दो साक्ष्य हैं। एक है कार्यकारी मजिस्ट्रेट यू.एस. अग्रवाल (डीडब्लू 2) के समक्ष दिया गया कथन/घोषणा (एक्स.डी2) और दूसरा है मृतका द्वारा अपने पिता सुरेश (पीडब्लू 4), माता सुशीला (पीडब्लू 5) और अपने एक शिक्षक पुनीतराम (पीडब्लू 7) के समक्ष दिया गया मौखिक मृत्यु पूर्व कथन। दोनों कथन पूर्णतः विरोधाभासी हैं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट यू.एस. अग्रवाल (डीडब्लू 2) द्वारा दर्ज मृत्यु पूर्व कथन (एक्स.डी2) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऐसा कथन दर्ज करने से पूर्व उन्होंने बयान देने के लिए मृतका की मानसिक स्वस्थता के संबंध में चिकित्सक से विधिवत फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था। पुलिस उपाधीक्षक एस. ब्रम्हे (पीडब्लू 12) ने भी



इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 6.6.1999 को कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने मृतका का मृत्यु पूर्व कथन दर्ज किया था। हालांकि, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज मृत्यु पूर्व कथन (प्रत्यक्ष डी2) को जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र के साथ दाखिल नहीं किया जा सका। मृतक की मां सुशीला (पीडब्लू5) ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जिला अस्पताल में मृतक ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष यह बयान दिया था कि वह चाय बनाते समय जल गई थी। डॉ. वी.के. साओ (डीडब्लू1) और कार्यकारी मजिस्ट्रेट यू.एस. अग्रवाल (डीडब्लू2) दोनों ही सरकारी कर्मचारी थे। उनका अपीलकर्ता या मृतक से कोई संबंध नहीं था। इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु पूर्व कथन (प्रत्यक्ष डी2) किसी दबाव में दर्ज किया गया था। यद्यपि सुरेश (पीडब्लू 4), सुशीला (पीडब्लू 5) एवं पुनीतराम (पीडब्लू 7) ने यह कहा है कि जब वे मृतका को देखने जिला अस्पताल गए थे, उस समय मृतका ने मौखिक मृत्युपूर्व बयान दिया था कि चाय पीते समय अपीलकर्ता से विवाद हो गया था तथा आए दिन झगड़े होने एवं मारपीट किए जाने के कारण वह परेशान हो गई तथा उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतका की मृत्यु दिनांक 11.6.1999 को हुई थी तथा एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 10.6.1999 को उसके पिता सुरेश (पीडब्लू 4) ने लिखित शिकायत (एक्स.पी.4) की थी। लेकिन लिखित शिकायत (एक्स.पी.4) में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि मृतका ने, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सुरेश (पीडब्लू 4), सुशीला (पीडब्लू 5) एवं पुनीतराम (पीडब्लू 7) के समक्ष ऐसा कोई बयान दिया था। यदि मृतक द्वारा ऐसा कोई मौखिक मृत्युपूर्व कथन/बयान दिया गया था, तो इस तथ्य का उल्लेख लिखित शिकायत (प्र.पी.4) में क्यों नहीं किया गया? इसलिए, यह संदेहास्पद है कि मृतक ने सुरेश (पी.डब्लू.4), सुशीला (पी.डब्लू.5) और पुनीतराम (पी.डब्लू.7) के समक्ष कोई मौखिक मृत्युपूर्व कथन दिया था। इसलिए, उपरोक्त सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि लिखित मृत्युपूर्व कथन (प्र.डी.2) की विषय-वस्तु के अनुसार, मृतक की मृत्यु आकस्मिक थी। यहां तक कि यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि मृतक की मृत्यु आकस्मिक नहीं थी और आत्महत्या थी, तो भी इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपराध के भौतिक तत्व गायब हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से ही यह अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच विवाह से 1 वर्ष तक सौहार्दपूर्ण संबंध थे। उस समय तक,



मृतक द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। शादी के एक वर्ष बाद जब मृतका अपने ससुराल से भागकर मायके आई तो उसने पहली बार अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात बताई। लेकिन उसके माता-पिता सुरेश (पीडब्लू 4) और सुशीला (पीडब्लू 5) ने स्वीकार किया है कि इस तरह का विवाद आमतौर पर हर घर में होता है और इसलिए उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। सुरेश (पीडब्लू 4) और सुशीला (पीडब्लू 5) के बयानों से यह भी पता चलता है कि जब भी सुरेश (पीडब्लू 4) मृतका के ससुराल गया तो उसे वहां उचित सम्मान दिया गया और उन सभी अवसरों पर मृतका ने कभी भी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार या दुष्कर्म की कोई शिकायत नहीं की। इसके अलावा, घटना के तुरंत बाद अपीलकर्ता ने मृतका को जिला अस्पताल दुर्ग ले गया और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई ले गया। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि अपीलकर्ता लगातार मृतक के साथ बुरा व्यवहार कर रहा था या उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था या उसे परेशान कर रहा था। इसलिए, इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तहत परिभाषित अपराध का भौतिक तत्व यानी उकसावे का अभाव है। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष कानून और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार नहीं है। अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

20. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। चुनौती के तहत निर्णय को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी किया जाता है।

सही /-
(अरविन्द सिंह चंदेल)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।